

सारण समाहरणालय, छपरा  
(जिला शस्त्र शाखा)

आदेश

- 1 सारण जिलान्तर्गत शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों की संख्या अत्यधिक है, जिनका इस जिला में संधारित शस्त्र पंजी में नाम अंकित है। शस्त्र पंजी के समीक्षोपरान्त स्पष्ट होता है कि कुछ ऐसे अनुज्ञप्ति धारक हैं, जिनके द्वारा धारित शस्त्र का क्रय लम्बी अवधि से नहीं किया गया है जो तर्क संगत नहीं है।
- 2 काफी संख्या में अनुज्ञप्ति लम्बी अवधि से (वर्ष-2000 के पश्चात्) नवीकृत नहीं है, बगैर नवीकरण के अनुज्ञप्ति शस्त्र अधिनियम के सुसंगत धारा के अन्तर्गत अवैध है।
- 3 लोक सभा आम निर्वाचन 2014 एवं अन्य अवसरों पर पंजी में दर्ज कुछ अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा चार बार समाचार पत्रों एवं व्यक्तिगत सूचना देने के बावजूद भौतिक सत्यापन नहीं कराया गया है, जिससे इस संभावना को बल मिलता है कि ऐसे अनुज्ञप्तिधारी द्वारा शस्त्र अधिनियम का अनुपालन नहीं किया गया है, जिसके कारण अनुज्ञप्ति निलम्बित करते हुए रद्द करने हेतु कारण पृच्छा किया गया है।
- 4 गृह विभाग, भारत सरकार एवं बिहार सरकार के निदेशानुसार सभी शस्त्रधारियों को आम सूचना राज्य स्तर पर एवं जिला स्तर से इस कार्यालय के पत्रांक-389 दिनांक 05.07.2014 से भी राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित करायी गयी थी एवं नेशनल डेटावेस (DATA BASE) का फार्म विहित प्रपत्र में भर कर जमा करने हेतु स्थानीय स्तर पर सभी थानाध्यक्ष/सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी/सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक, सारण को उपलब्ध करा दिया गया था जिसमें अंतिम तिथि 15.09.2014 निर्धारित की गयी थी, उसके बाद निरन्तर दैनिक जागरण में दिनांक 05.07.2014, हिंदुस्तान में दिनांक 08.07.2014, दैनिक जागरण दिनांक 07.09.2014, दिनांक 30.04.2015, हिंदुस्तान समाचार में दिनांक 30.04.2015, प्रभात खबर, आज दैनिक समाचार दिनांक 18.05.2015 एवं दैनिक समाचार पत्र में दिनांक 19.05.2015 को आम सूचना प्रकाशित कराई गयी, की जो अनुज्ञप्तिधारी दिनांक 30.05.2015 तक अपने अनुज्ञप्ति का नवीकरण/डेटावेस आवेदन फार्म समर्पित नहीं करते हैं, तो उनकी अनुज्ञप्ति रद्द कर दी जाएगी।
- 5 इतने श्रोतों से सूचित करने के बाद अनुज्ञप्ति रद्दीकरण हेतु तैयार सूची का मिलान दिनांक 20.05.2015 को NDAL के सर्व साईट पर भी डाल कर किया गया है परन्तु किसी अन्य जिला में भी UIN GENERATION नहीं पाया गया, जिससे स्पष्ट है कि संलग्न सूची के अनुसार सूचक..... थानान्तर्गत कुल 02(दो)... सन्निहित अनुज्ञप्तिधारी द्वारा शस्त्र अनुज्ञप्ति शर्तों का अनुपालन नहीं किया गया है, अर्थात उनके द्वारा शस्त्र अधिनियम के धाराओं का उल्लंघन किया गया है। अतएव ऐसे अनुज्ञप्तिधारी

जिनका शस्त्र अनुज्ञप्ति वर्ष-2000 के पश्चात् नवीकृत नहीं है और न ही UIN GENERATION हेतु विहित प्रपत्र में शस्त्र शाखा में फार्म जमा किया गया है एवं जैसे अनुज्ञप्ति जिनके अनुज्ञप्तिधारी की मृत्यु हो चुकी है, को शस्त्र अधिनियम 1959 के धारा 15 का उल्लंघन मानते हुए शस्त्र अधिनियम के धारा 17 (3) में वर्णित प्रावधानों के आलोक में, मैं दीपक आनन्द भा0प्र0 से0 जिला दण्डाधिकारी-सह- जिला पदाधिकारी, सारण सूची में सन्निहित कुल 02(दो) शस्त्र अनुज्ञप्तियों को तत्काल प्रभाव से रद्द करता हूँ।

सभी थानाध्यक्ष/ओ0पी0 अध्यक्ष, सारण जिला को निर्देशित किया जाता है कि उनके क्षेत्रान्तर्गत रद्द किये गये अनुज्ञप्तियों के अनुज्ञप्तिधारियों को व्यक्तिगत नोटिस निर्गत कर उनके शस्त्र को थाना के मालखाना में जप्त कर सुरक्षित रखना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन प्रतिवेदन से अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायेगे। सारण जिला के सूचना पट्ट/ समाचार पत्र एवं सारण जिला के वेबसाईट पर प्रकाशित करने का निर्णय लिया जाता है।



जिला दण्डाधिकारी  
सारण, छपरा।

ज्ञापांक .....273...../शस्त्र, दिनांक 10/6/15

- प्रतिलिपि:- सभी जिला दण्डाधिकारी एवं सभी पुलिस अधीक्षक बिहार राज्य को अनुलग्न प्रति के साथ सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- पुलिस अधीक्षक, सारण/अनुमंडल दण्डाधिकारी सदर, मढ़ौरा एवं सोनपुर को सूचनार्थ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, सारण को विलोपित सूची के साथ वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।



जिला दण्डाधिकारी  
सारण, छपरा।

अधारी जिनके द्वारा वर्ष-2000 के पश्चात (लम्बी अवधी तक) आज तक शस्त्र अनुज्ञप्ति का न तो नवीकरण कराया गया है और न ही NDAL के तहत डाटा इव्ही हेतु विहित प्रपत्र में आवेदन जमा किया गया है, से संबंधित रद्द अनुज्ञप्तिधारियों की सूची:-

ना का नाम:-मकेर

Sir. No.	Page No.	ID1	SI	Contact Name	ID	Licence Number	Licensing Year	Thana	Arms Type	Arms Serial No	Valid Upto	Present Address	Permanent Address	District	State	Area Validity	No of Cartridges
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	5	2865	3886	DHIRENDRA KUMAR	1769	8	1988	Maker	NP Bore Revolver/Pistol			S/O Late Ambika Singh A/P-Asst. Prof. S.K. Medical College, Mzaffarpur	S/O Late Ambika Singh Vill-Juran Chapra	Muzaffarpur	Bihar		
2	8	2865	3889	KAUSHAL KUMAR MISHRA	1253	1	1991	Maker	Double Barrel Gun	8684 C/4	31-Dec-96	S/O. Late Rajbalaw Mishra Viiil- Phulwariya	S/O. Late Rajbalaw Mishra Viiil- Phulwariya	Saran	Bihar		

  
09/06/10

जिला दंडाधिकारी  
सारण, छपरा।

02

हिंदु

दिनांक

आम सूचना प्रकाशित